



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

संख्या : 91 /04/E-3/DR(A.R.)/2022

दिनांक : 24 जुलाई, 2023

## प्रत्योवदन निस्तारण सूची 'सहायक कुलसचिव परीक्षा-2022'

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सहायक कुलसचिव परीक्षा-2022 के सापेक्ष जारी अनर्ह सूची संख्या: 85 दिनांक 20 जुलाई, 2023 के क्रम में अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 24.07.2023 के अपराह्न 02:00 बजे तक का समय प्रदान किया गया था। उक्त के सापेक्ष प्राप्त प्रत्यावेदनों को मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार निस्तारित कर दिया गया है:-

क्र0 सं0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री)/सुश्री/ श्रीमती	मा0 आयोग का निर्णय
1	100263	DIPAK LAL	अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अवधि से कम अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने के कारण अनर्ह किये जाने सम्बन्धी पूर्व निर्णय यथावत रखा गया है।
2	100464	TULSI PRASAD PACHAULI	अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका 2022 के बिन्दु सं0 01 की तालिका के बिन्दु-04 के अनुसार (न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित करने के पश्चात, प्रारम्भ हो व आवेदन की अन्तिम तिथि तक पूर्ण होना चाहिए।) अनिवार्य अर्हता (स्नातक) धारित करने के पश्चात 07 वर्ष से कम का अनुभव धारित करने के कारण अनर्ह किये जाने सम्बन्धी पूर्व निर्णय यथावत रखा गया है।
3	100483	HARISH KUMAR	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत तीन वर्ष की स्नातक अंकतालिका (वर्ष 2011) के आधार पर विशेष परिस्थिति के अन्तर्गत साक्षात्कार हेतु इस शर्त के अधीन औपबन्धिक अर्ह, कि अभ्यर्थी दिनांक 31.07.2023 तक अपनी स्नातक उपाधि आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे अन्यथा की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। साक्षात्कार तिथि-25.07.2023, द्वितीय सत्र अपराह्न 01:00 बजे से

4	100107	SURYA PRAKASH GHILDIYAL	अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार किसी सरकारी कार्यालय अथवा किसी विश्वविद्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किये जाने सम्बन्धी पूर्व निर्णय यथावत् रखा गया है।
5	100170	MANOJ BHARDWAJ	अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार किसी सरकारी कार्यालय अथवा किसी विश्वविद्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किये जाने सम्बन्धी पूर्व निर्णय यथावत् रखा गया है।
6	100446	SARLA	अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार किसी सरकारी कार्यालय अथवा किसी विश्वविद्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किये जाने सम्बन्धी पूर्व निर्णय यथावत् रखा गया है।
7	100360	VIPIN KUMAR	अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार अनुभव प्रमाण पत्र में Knowledge of Accounts Rules प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किये जाने सम्बन्धी पूर्व निर्णय यथावत् रखा गया है।
8	100497	ARVIND KUMAR	अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार अनुभव प्रमाण पत्र में Knowledge of Accounts Rules प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किये जाने सम्बन्धी पूर्व निर्णय यथावत् रखा गया है।

-Sd-  
(गिरधारी सिंह रावत)  
सचिव।